

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण  
अधिनियम, हरदोई।  
शेरू बनाम रामवीर**

**दि० 24-08-2019**

पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीयण रामवीर आदि को तलब कर विचारणोपरान्त दण्डित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि दिनांक 14-08-2018 को समय करीब 11 बजे दिन में खेत की फसल की रखवाली कर रहा था कि रामवीर अपनी भैस चरा रहा था रामवीर की भैस धान के खेत में घुस गई इसी बात पर विवाद हो गया। राजेश व प्रमोद अपने खेत में काम कर रहे थे दौड़कर आ गये और तीनों लोग लात घूसों व डण्डों से मारने लगे। प्रमोद ने खुरपी मार दी। शोर पर अन्य लोग आ गये तो सभी लोग जातिसूचक गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादी द्वारा अपना बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन दर्ज कराया गया, जिसमें उसके द्वारा परिवादपत्र का समर्थन किया गया। परिवादी के द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० में बतौर साक्षी पी०डब्लू० 1 धीर सिंह को प्रस्तुत किया गया है, जिसने घटना का समर्थन किया।

परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए घातक साधन द्वारा मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देना कहा है। इसी प्रकार धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 धीर सिंह द्वारा भी परिवादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते घातक साधन द्वारा मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देना कहा गया है।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा 200 व 202 दं०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत की गई साक्ष्य से विपक्षीयण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 323, 324, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट का अपराध बनता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीयण को उक्त अपराध के लिये विचारण हेतु तलब किये जाने का संतोषप्रद आधार है।

**आदेश**

अभियुक्तगण रामवीर, राजेश एवं प्रमोद के विरुद्ध धारा 323, 324, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेते हुए, उन्हें विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी एक सप्ताह के अंदर सूची गवाहान दाखिल करे। बाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन निर्गत हो। पत्रावली दिनांक 24-9-2019 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

**(संजीव कुमार सिंह)**

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं  
अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।